SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल संरक्षण बल की रेल अपराधों के रोकथाम एवं उनके निवारण में भूमिकाः सामाजिक–सह–विधिक अध्ययन

प्रवीण कुमार शुक्ला, शोधार्थी, विधि संकाय
विनोद कुमार, Ph.D., विधि संकाय
श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुँझुनूँ, राजस्थान, भारत
विनोद शंकर त्रिपाठी, Ph.D., विधि संकाय
ब्रह्मनन्द कालेज, दि माल, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
प्रवीण कुमार शुक्ला
विनोद कुमार, Ph.D.
विनोद शंकर त्रिपाठी, Ph.D.
shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/07/2023
Revised on : -----
Accepted on : 24/07/2023
Plagiarism : 02% on 17/07/2023

शोध सार

रेलवे स्टेशनों के साथ–साथ चलित रेलगाड़ियों में अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाना, मामले को पंजीकृत करना, उसकी जाँच करना तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखना; आदि कार्य राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व होता है। इस दायित्व की पूर्ति हेतु सम्बधित राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस कार्यरत् है। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशनों व रेलगाडियों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सामान्य अनुक्रम में स्टेशन परिसर में प्रवेश व निकासी पर, विशेष रूप से प्लेटफार्म पर, यात्री यातायात के नियंत्रण, बुकिंग कार्यालयों, प्रतीक्षा हाल, स्टेशन परिसर में वाहनों और अन्य यातायात पर नियंत्रण, स्टेशन परिसर में अपदूषण फैलाने वाले दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, भिखारियों को रेल परिसर से दूर रखना, बीमार यात्रियों को अस्पताल भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था करना; इत्यादि प्रमुख कर्तव्य अधिरोपित किये गये है। रेलवे बोर्ड स्तर पर यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये हेल्पलाइन नम्बर 1800111322 जारी किया। उत्तर मध्य रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये टोल फ्री नं. 18001805315 जारी किया गया है। रेल सुरक्षा बल द्वारा रात्रि के दौरान महिला सवारी डिब्बों, रेलवे स्टेशन और यार्डों पर निगरानी रखना, अप्राधिकृत रूप से माल बेचने वालों, महिला डिब्बों, और आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने वालों, टिकटों के दलालों, छत पर यात्रा करने वालों, चेन खीचने वालों आदि पर रेल अधिनियम, 1989 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना है। रेल संरक्षण विशेष बल द्वारा आंतकवाद संभावित, नक्सलवाद प्रभावित

और सुभेद क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है। रेल सुरक्षा को अत्याधिक सुदृढ़ करने के लिये 'महिला रेल संरक्षण विशेष बल' का गठन किया गया है। कर्तव्य पालन में भूल होने की स्थिति में राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल सुरक्षा बल को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है।

मुख्य शब्द

राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, यात्री सुरक्षा, रेलवे स्टेशन, रेलगाड़ी, रेलवे सुरक्षा विशेष बल.

प्रस्तावना

रेलवे स्टेशनों के साथ–साथ चलित रेलगाड़ियों में अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाना, मामलों को पंजीकृत करना, जांच करना तथा विधि व्यवस्था को बनाये रखना; इत्यादि राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व होता है। इस दायित्व के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सम्बधित राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस नाम से एक सुरक्षा बल कार्यरत् है। रेलवे, सम्बन्धित राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस पर राज्य द्वारा किये गये व्यय का 50 प्रतिशत वहन करती है। रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों की सुरक्षा राज्यों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से की जाती है, जबकि रेलपथों, पुलों और सुरंगों की सुरक्षा स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है। सम्बन्धित राज्यों के साथ रेलवे सुरक्षा की लागत में 50–50 के आधार पर भागीदारी करने के साथ–साथ रेलवे, रेल सुरक्षा बल के माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में राज्यों के प्रयासों में भी सहायता करती है। रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये रेल संरक्षण बल का गठन वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 द्वारा एक सांविधिक सुरक्षा बल के रूप में किया गया। वर्ष 1985 में रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करते हुये इसे संघ के सशक्त बल के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2003 में एकबार पुनः संशोधन करते हुये रेल संरक्षण बल के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करते हुये यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा को शामिल किया गया। भारतीय रेल, रेलवे संरक्षण विशेष बल द्वारा आंतकवाद संभावित, नक्सलवाद प्रभावित और सुभेद क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है। रेलवे सुरक्षा को अत्याधिक सुदृढ़ करने के लिए 'महिला रेलवे सुरक्षा विशेष बल' का गठन किया गया है। यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षण बल द्वारा किये गये उपाय, जीआरपी द्वारा पैसेन्जर ट्रेन, ई0एम0यू0, मेल तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लम्बी दूरी की मेल एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है। रेल संरक्षण बल द्वारा रात्रि के दौरान उपनगरीय गाड़ियों में महिला सवारी डिब्बों का मार्गरक्षण, असमाजिक तत्वों से स्टेशन, यार्डों और परिचालन क्षेत्रों पर निगरानी रखना, और नियंत्रण कक्ष से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी, अप्राधिकृत रूप से माल बेचने वालों, महिला डिब्बों, और आरक्षित डिब्बों में प्रवेश करने वालों, टिकटों के दलालों, अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों, छत पर यात्रा करने वालों, चेन खीचने, आदि का उल्लघंन करने वाले अपराधियों पर रेलवे अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

राजकीय रेल पुलिस

राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस बल की एक पृथक शाखा है और यह पुलिस अधिनियम, 1861 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत नामांकित है। राजकीय रेलवे पुलिस–उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में 65 पुलिस थाने और 43 चौकियाँ अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 922 रेलवे स्टेशन, 9227 कि.मी. रेलमार्ग को कवर करता है और 780 ट्रेनों में निगरानी का कार्य करते है। राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशनों व रेल गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु सामान्य अनुक्रम में स्टेशन परिसर में प्रवेश व निकास द्वार पर, विशेष रूप से प्लेटफार्म पर, यात्री यातायात के नियंत्रण, बुकिंग कार्यालयों, प्रतीक्षा हाल, स्टेशन परिसर में वाहनों और अन्य यातायात पर नियंत्रण, स्टेशनों तथा स्टेशनों पर खड़ी गाडियों में भीड़–भाड़ को नियंत्रित करना तथा व्यवस्था बनाये रखना, स्टेशनों पर खड़ी गाड़ियों में भीड़ का पर्यवेक्षण करना, स्टेशन परिसर में न्यूसेन्स फैलाने वाले दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तार करना, संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को स्टेशन परिसर से हटाना, तथा भिखारियों को रेल परिसर से दूर रखना, टर्मिनल स्टेशनों

पर खाली गाड़ियों को चेक करना, गाड़ियों में लगी सुरक्षा प्रणाली की जॉच करना, रेल परिसर या गाड़ियों में मरने वाले व्यक्तियों के शव को हटाना, तथा बीमार यात्रियों को अस्पताल भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था करना, रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत घटित अपराधों, धोखाधड़ी या उत्पीड़न आदि के मामलों के सम्बन्ध में रेलवे या सिविल के अधिकारियों को सूचना देना, इत्यादि कर्तव्यों का पालन करता है।

रेल संरक्षण बल

रेल का आरम्भिक विकास ग्रेट पेनिनसुला रेलवे कम्पनी व ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा किया गया था। कच्चा माल के आयात–निर्यात तथा सेना को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने के लिये रेल लाइनों का निर्माण करना पड़ा। सन् 1854 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ''माल'' की सुरक्षा व रेल परिसर में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक सुरक्षा अभिकरण का निर्माण किया, जिसे "पुलिस" की संज्ञा दी गयी। सन् 1861 में पुलिस अधिनियम, 1861 पारित हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सृजित 'पुलिस' को पुलिस अधिनियम, 1861 में परिभाषित 'पुलिस' शब्दावली में शामिल कर दिया गया। सन् 1870 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी व बंगाल सरकार में मतभेद के परिणामस्वरूप 'पुलिस' का विभाजन राजकीय पुलिस तथा प्राइवेट पुलिस में हुआ।

राजकीय पुलिस का कार्य जनता में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना था, जबकि प्राइवेट पुलिस रेल सम्पत्ति व माल की सुरक्षा करती थी। सन् 1882 में सरकार ने सभी रेल कम्पनियों को अपने 'माल' की सुरक्षा के लिये "वाच एण्ड वार्ड" व्यवस्था लागू की। रेलवे में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम हेतु सन् 1953 में रेलवे बोर्ड द्वारा एक सुरक्षा सलाहकार समिति को नियुक्त किया गया। सलाहकार समिति की सलाह पर "वाच एण्ड वार्ड" व्यवस्था को 'सुरक्षा बल' के रूप में बदल दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने 1954 से 1956 तक कार्य किया। सन् 1955 में रेलवे स्टोर्स (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 पारित हुआ। सलाहकार समिति की सिफारिश पर 13.01.1956 को 'सुरक्षा बल' का नाम बदलकर 'रेल संरक्षण बल' रखा गया। रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 सम्पूर्ण भारत में 10.09.1959 से प्रवर्तनीय है। देश की सीमा से लगे स्थानों तक रेलगाड़ियों के सुरक्षित आवागमन के लिये 'रेल संरक्षण विशेष बल' का गठन सन् 1965 में किया गया। रेलवे संरक्षण विशेष बल का मुख्य कार्य आतंकवाद, नक्सलवाद प्रभावित रेल परिसर में यात्रियों की सुरक्षा हेतु गाड़ी अनुरक्षण ड्यूटी, रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा, रेलवे में चोरी सम्बन्धी अपराधों को रोकने के लिये, रेलवे सम्पत्ति को हानि से बचाने के लिये, तथा अपराधियों को दण्डित करने हेतु रेलवे स्टोर्स (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम, 1955 को समाप्त करते हुये रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 पारित किया गया जो 01.04.1968 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के लागू करने का मुख्य उद्देश्य रेलवे प्रशासन में बढ़ते हुए अपराधों को रोका जाये और रेलवे प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले दावों को कम किया जाये। रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करते हुये रेल संरक्षण बल को संघ का सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया है। भारत संघ के सशस्त्र बल का दर्जा प्राप्त होने पर रेल संरक्षण बल ने सर्वप्रथम 20.09.1986 को स्थापना दिवस के रूप में मनाया। रेल संरक्षण बल (संशोधित) अधिनियम, 2003 के परिणामस्वरूप 'रेल सम्पत्ति' के स्थान पर शब्द 'रेल सम्पत्ति', 'यात्री परिसर' तथा 'यात्री' शब्द जोड़ा गया है। रेलवे द्वितीय (संशोधन) अधिनियम, 2003 में दो महत्वपूर्ण परिभाषायें जोड़ी गयी है। 'रेल सेवक' की परिभाषा को विस्तारित करते हुये रेल संरक्षण बल के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 179(2) के अन्तर्गत गिरफ्तारी, जाँच एवं अभियोजन के अधिकार रेल संरक्षण बल को देकर राज्य पुलिस का कार्यभार कम किया गया है।

राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल संरक्षण बल को प्राप्त विधिक संरक्षण

कर्तव्य पालन में हुई चूक के लिये राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल संरक्षण बल को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। विधिक संरक्षण निम्नवत् हैः

1. संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य, अपने द्वारा शासकीय कर्तव्यों के पालन करते समय किये गये, या किये जाने वाले किसी कार्य के लिये बिना केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त किये गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 45)

2. किसी काम के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन किसी फौजदारी न्यायालय में नहीं किया जायेगा। (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 132)
3. कोई भी न्यायालय संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में यह कहा गया है कि उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने कर्तव्यों के पालन में कार्य कर रहा था, केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से करेगा, अन्यथा नहीं। {दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 197(2)}
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 76– कोई बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाये, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिये विधि द्वारा आबद्ध है।
5. रेल अधिनियम 1989 की धारा 186 में सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण।
6. रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 20 के अन्तर्गत बल सदस्यों के कृत्यों का संरक्षण।
7. रेल संरक्षण बल नियम, 1987 नियम 255: संघ का सशस्त्र बल रहते हुए संरक्षण– रेल संरक्षण बल, संघ का एक सशस्त्र बल है और उसके किसी सदस्य के विरुद्ध वाद या कार्यवाही में वह सदस्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 45, धारा 132 और धारा 197 के अधीन तथा न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के अधीन जहां तक की अधिनियम की धारा 17(3) के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का निर्वहन करने वाले कृत्यकारियों और अन्य अधिकारियों का सम्बन्ध है, संरक्षण का पात्र होगा।
8. रेल संरक्षण बल नियम, 1987 नियम 256 जहां संरक्षण बल के सदस्य ने गोली चलायी हो, वहां संरक्षण– जब कभी किसी बल–सदस्य ने रेल सम्पत्ति के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिये और उससे सम्बद्ध विषयों की बाबत अपने विधिक कर्तव्यों के अनुसरण में, या व्यक्ति अथवा सम्पत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुये गोली चलाई हो और उससे अन्य पक्षकार की मृत्यु हो गयी हो, या उसे क्षति हुई हो तो इस निमित्त संस्थित की गई, मजिस्ट्रेट या न्यायिक जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जायेगी। कोई बल सदस्य सामान्यतः तभी अभियोजित किया जायेगा, और/या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी जब उस पर जांच में प्रतिकूल रूप से टिप्पणी की गयी हो, या जब नियम 265 के अधीन संस्थित जांच न्यायालय ने उसके आचरण को संदेहास्पद पाया हो।

रेल सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु संचालित अभियान

रेल सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु संचालित अभियान निम्नवत् हैः

1. **ऑपरेशन रेल सुरक्षाः** ऑपरेशन रेल सुरक्षा के अन्तर्गत, रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान रेलवे सम्पत्ति की चोरी के 6492 मामले पंजीकृत हुये। रेलवे सम्पत्ति की चोरी के अपराध में 11268 अपराधियों की गिरफ्तारी से 7.37 करोड़ रूपये वसूल किये गये।
2. **ऑपरेशन उपलब्धः** ऑपरेशन उपलब्ध टिकट दलालों के विरूद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित है। आरक्षित शायिका के लिये रेलवे टिकट के ऑनलाइन आरक्षण व्यवस्था को अवैध सॉफ्टवेयरों के उपयोग द्वारा आम आदमी की आरक्षित टिकट की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। रेल सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर वर्ष 2022 के दौरान 5179 अनाधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति का कारोबार करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध 4884 मामले पंजीकृत किये गये। इसमें अनाधिकृत रूप से रेलवे टिकटों की खरीद और आपूर्ति के कारोबार में आईआरसीटीसी के 1021 अधिकृत एजेंट भी शामिल थे जो अवैध सॉफ्टवेयरों का प्रयोग कर आरक्षित टिकटों को बुक कर रहे थे।
3. **ऑपरेशन नन्हे फरिश्तेः** अभियान बच्चों के बचाव से सम्बन्धित है। रेल संरक्षण बल देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले उन बच्चों की पहचान करने और उन्हें बचाने का कार्य करता है, जो किसी कारणवश से अपने परिवार से बिछड़ गये हैं। रेल मंत्रालय ने दिसम्बर 2021 में रेलवे के सम्पर्क में संकटग्रस्त बच्चों की बेहतर देखभाल और सुरक्षा के लिये एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जिसे 2022 में शुरू

किया गया था। वर्तमान में 143 रेलवे स्टेशनों पर मानक संचालन प्रक्रिया चालू हैं। रेल सुरक्षा बल ने खोये हुये बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों पर देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाने के लिये भारतीय रेलवे द्वारा 'नन्हे फरिश्ते' अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2022 के दौरान रेल संरक्षण बल द्वारा 17,756 बच्चों को बचाया गया है।

4. **ऑपरेशन एएएचटी:** रेल संरक्षण बल द्वारा मानव तस्करी के विरूद्ध ऑपरेशन एएएचटी नामक एक अभियान की शुरूआत किया है। मानव तस्करों के प्रयासों को रोकने के लिए रेल संरक्षण बल की एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को भारत में 740 से अधिक स्थानों पर थाना स्तर पर सक्रिय किया गया। वर्ष 2022 वर्ष के दौरान, 194 तस्करों को गिरफ्तार कर 559 व्यक्तियों को छुड़ाया गया।
5. **मिशन जीवन रक्षा:** यात्री द्वारा जल्दबाजी में चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश में ट्रेन के पहियों के नीचे आने के जोखिम के साथ फिसल कर गिर जाते हैं, या संकट में फंसे लोग जानबूझकर चलती ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे यात्री या अन्य को इस ऑपरेशन के अंतर्गत रेल संरक्षण बल द्वारा अपने जीवन को जोखिम में डालकर यात्री या अन्यें की जान बचाने की कोशिश की जाती हैं। वर्ष 2022 के दौरान, रेल संरक्षण बल द्वारा 852 बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की गयी।
6. **ऑपरेशन नारकोस:** रेल सुरक्षा बल को 2019 में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनयम, 1988 के अन्तर्गत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर रेल संरक्षण बल ने ऑपरेशन नारकोस शुरू किया और वर्ष 2022 में 1081 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
7. ऑपरेशन अमानत के अन्तर्गत यात्रियों के छूटे हुए सामान की पुनर्प्राप्ति और सौंपने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन रेल संरक्षण बल द्वारा चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के अन्तर्गत वर्ष 2022 के दौरान रेल संरक्षण बल द्वारा लगभग 46.5 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लगभग 25500 सामानों को बरामद किया।
8. **ऑपरेशन विलेप:** इस अभियान द्वारा वन्यजीवों, पशुओं के अंगों और वन उत्पाद की तस्करी के अवैध व्यापार के विरूद्ध रेल संरक्षण बल द्वारा विधिक कार्यवाही संचालित की जा रही है। वर्ष 2022 के दौरान रेल संरक्षण बल द्वारा प्रतिबंधित वन्य जीवों के अवैध व्यापार के 129 मामलों के सापेक्ष 75 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
9. **ऑपरेशन मातृशक्ति:** गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन मातृशक्ति महिला रेल संरक्षण बल कर्मी द्वारा गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु संचालित किया जा रहा हैं।
10. **मेरी सहेली योजना:** महिलाओं की सुरक्षा हेतु अक्टूबर 2020 में 'मेरी सहेली' योजना शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य लम्बी दूरी की ट्रेनों में अकेले या नाबालिगों के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को प्रारम्भिक स्टेशन से अन्तिम स्टेशन तक की पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना है। इसके कार्यान्वयन के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे में महिला रेल संरक्षण बल कर्मियों की समर्पित टीमों का गठन किया गया है।
11. **ऑपरेशन संरक्षा:** रेल परिचालन की सुरक्षा बढ़ाने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया है। चलती रेलगाड़ी पर पथराव करने, ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ या पटाखे ले जाने इत्यादि में शामिल अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2022 के दौरान रेल संरक्षण बल द्वारा चलती ट्रेनों में पथराव के 1503 मामले दर्ज किये गये, और 488 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिये टोल फ्री नं. 139 और सोशल मीडिया के माध्यमों (ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आदि) के द्वारा चौबीसों घण्टे यात्री सुरक्षा और अन्य शिकायतों को प्राप्त करने, और उनका निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते है। वर्ष 2023 में रेल संरक्षण बल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यात्रा सम्बन्धी अपराधों में शामिल 5749 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें राजकीय रेलवे पुलिस या जिला पुलिस को सुपुर्द किया। रेल संरक्षण बल ने वर्ष 2022 में 11268 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ चोरी की हुई 7.37 करोड़ रूपये की रेलवे सम्पत्ति बरामद की। वर्ष 2022 के दौरान रेल संरक्षण बल द्वारा 17,756 बच्चों को बचाया गया। 194

तस्करों की गिरफ्तारी के साथ 559 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। ऑपरेशन नारकोस के अन्तर्गत रेल संरक्षण बल ने 1081 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनसे लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य के नारको ड्रग की जब्ती करने में सफल रहे है।

रेलवे बोर्ड स्तर पर यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये हेल्पलाइन नम्बर 1800111322 जारी किया। उत्तर मध्य रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टोल फ्री नम्बर 18001805315 जारी किया। इसका संचालन सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष द्वारा किया जाता है। रेल संरक्षण बल में महिला बल सदस्यों की भागीदारी बढ़ायी गयी है, इससे महिला यात्री की सुरक्षा सम्बन्धी अपराधों में कमी आई है। रेल प्रशासन ने यात्री द्वारा किसी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों को दूर करते हुये यात्रियों की सुविधा के लिये ट्रेन में ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिये चल टिकट परीक्षक, ट्रेन गार्ड के पास प्राथमिकी पुस्तिका उपलब्ध करायी है।

रेल संरक्षण बल/राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपराधों की जाँच प्रक्रिया

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी रेल अधिनियम, 1989 की धारा 137 से 139, धारा 141 से 147, धारा 153 से 157, धारा 159 से 167 और धारा 172 से 176 तक में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध के किये जाने की जाँच कर सकेगा और यदि यह पाया जाता है कि वह अपराध किया गया है, तो सक्षम न्यायालय में परिवाद फाइल कर सकेगा। जाँच के दौरान सक्षम अधिकारी:

1. किसी व्यक्ति को समन करने;
2. हाजिर होने;
3. कथन अभिलिखित करने;
4. किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करने;
5. किसी कार्यालय, प्राधिकारी या व्यक्ति से कोई लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करने;
6. किसी परिसर में प्रवेश करने;
7. तलाशी लेने;
8. किसी जाँच की सुसंगत विषयवस्तु को अभिग्रहण करने की शक्ति होगी।

किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करते समय प्राधिकृत अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबन्धित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध संदेह करने का पर्याप्त आधार है, तो वह उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत के लिये पेश करेगा या मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सन्देह का पर्याप्त साक्ष्य या युक्तियुक्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को, प्रतिभूओं सहित या रहित, उसके बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा। तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

रेल संरक्षण बल/राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

1. कोई व्यक्ति रेल अधिनियम, 1989 की धारा 137–139, धारा 141–147, धारा 153–157, धारा 159–167, और धारा 172–176 तक में वर्णित कोई अपराध करता है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वारण्ट या अन्य किसी लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा।
2. यदि कोई व्यक्ति धारा 150–152 के अन्तर्गत कोई अपराध करता है, तो हेड कॉंस्टेबल की पंक्ति से अनिम्न का रेल सेवक या पुलिस अधिकारी वारण्ट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।
3. कोई व्यक्ति–

   1. धारा 137–139, धारा 141–147, धारा 153–157, धारा 159–167 और धारा 172–176 तक में वर्णित अपराध से भिन्न कोई अपराध करता है; या

2. धारा 138 के अधीन मांगे गये अधिक प्रभार या अन्य राशि के संदाय के लिये दायी है,
3. अपना नाम और पता देने में असफल रहता है; या
4. देने से इंकार करता है; या
5. जहाँ यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता कल्पित है; या
6. यह कि वह फरार हो जायेगा; तो प्राधिकृत अधिकारी वारण्ट या लिखित प्राधिकार के बिना उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

4. गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को जब तक कि उसे जमानत देने पर या यदि उसका सही नाम और पता अभिनिश्चित कर लिया गया है, तो उस अपराध के लिये उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी हाजिरी के लिये प्रतिभुओं के बिना बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर, उसे पहले ही नहीं छोड़ दिया जाता है।
5. गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घण्टे की कालावधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा।
6. गिरफ्तारी सहज बनाने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अपनी सहायता हेतु बुला सकेगा।
7. जमानत देने और बन्धपत्र के निष्पादित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 23 के उपबन्ध लागू होंगे।

निष्कर्ष

सामान्यतः रेल में होने वाले अपराधों व उनका पता लगाने के लिये राजकीय रेलवे पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। रेल संरक्षण बल मालगोदाम, रेल यात्रियों, रेल सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ–साथ रेलवे परिसर में अनाथ बच्चों को भी सहायता प्रदान करता है, तथा उनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था करता है। रेलवे संरक्षण बल सरकार, रेल विभाग, स्थानीय पुलिस तथा आम जनमानस के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। वर्तमान समय में रेल अपराध निवारण एवं सुरक्षा सम्बन्धी मानकों में दिन–प्रतिदिन नवीनता देखी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से होने वाले अपराध परम्परागत अपराध की अपेक्षा कहीं ज्यादा घातक और भयावह होते है। एक सभ्य समाज में आपराधिक गतिविधियों में लोगों की संलिप्तता समाज में भय उत्पन्न करती है। राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल संरक्षण बल रेल परिसर, रेलवे स्टेशनों, एवं चलित ट्रेनों में होने वाले अपराधों से मुक्त कराने हेतु सदैव तत्पर रहते है, फिर भी वर्तमान में प्रासंगिक अपराधों की प्रकृति को देखते हुये इनमें तकनीकी दक्षता बढ़ाने एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
2. पुलिस अधिनियम, 1861
3. रेल (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003
4. रेल संरक्षण बल नियम, 1987
5. रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957
6. रेल अधिनियम, 1890
7. रेल अधिनियम, 1989
8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Government_Railway_Police
10. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1893664

****